

कार्यालय उप वन संरक्षक, हनुमानगढ़

क्रमांक : एफ()उवस/सर्वे/2018-19/ 7620

दिनांक : 11/4/18

सचिव,
कृषि उपज मण्डी समिति,
वार्ड नं0 18 रावतसर,
जिला हनुमानगढ़।

विषय:- Diversion of 0.3750 Hec for forest land in favour of Department of Agriculture Marketing Rajasthan for construction of Missing Link road from Dhani Raiken to Dhani Ranasar in Hanumangarh District.

प्रसंग- शासन सचिव, वन विभाग राजस्थान सरकार जयपुर का आदेश दिनांक 08.03.2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि शासन सचिव, वन विभाग राजस्थान सरकार जयपुर के आदेश दिनांक 08.03.2018 से जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 10 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुए क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की राशि 604784 रु वेब पोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालान से जमा करावे।

शर्त संख्या 11 - प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी) की निर्धारित राशि 164250 रु वेब पोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालान से जमा करावे।

प्रासंगिक पत्र से जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 1 से 14 तक की पालना रिपोर्ट शीघ्र इस कार्यालय में प्रस्तुत करे ताकि आगामी कार्यवाही की जा सके।

भवदीय


(सुधंशु शशी) IFS
उप वन संरक्षक
हनुमानगढ़

क्रमांक/सम/

दिनांक

प्रतिलिपि श्रीमान् सम्भागीय मुख्य वन संरक्षक, बीकानेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


(सुधंशु शशी) IFS
उप वन संरक्षक
हनुमानगढ़